न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 25/2004 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

श्रीमती पिस्ता देवी धर्म पत्नी बैजनाथ जाति वैश्य निवासी आर्य समाज रोड कस्बा बयाना तहसील बयाना (दमदमा वाल) जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती सुमन पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार जाति वैश्य निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।
.....असल रैस्पो0
2. गीता धर्म पत्नी विष्णु कुमार जाति वैश्य निवासी शिवगंज मण्डल बयाना तहसील बयाना(दमदमा वाले)
3. हेमलता धर्म पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति वैश्य निवासी शिवगंज कालोनी बयाना(दमदमा वाले)
4. बैजनाथ प्रसाद पुत्र श्री मिश्रीलाल } जाति वैश्य निवासी शिवगंज मण्डल स्टेशन रोड बयाना।
5. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मिश्रीलाल }

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपजिला कलक्टर, बयाना दिनांक 05.03.2004 उनवानी सुमन बनाम पिस्ता देवी मु0न0 47/02

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलांट।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 24.10.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बयाना के आदेश दिनांक 05.03.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वादपत्र में अंकित विवादित आराजी किता 11 रकवा 01.03 है0 में 1/4 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 2084, 2087 किता 02 रकवा 0.15 है0 में 3/16 हिस्सा व खसरा नम्बर 476 रकवा 0.66 है0 में 1/8 भाग, वाके कस्बा बयाना जिला भरतपुर की असल रैस्पो0/वादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है, बाकी रकवा में अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं तरतीवी रैस्पो0 मुरारीलाल एवं जगनलाल खातेदार काश्तकार काबिज हैं। जगनलाल का देहान्त हो चुका है और उसके हिस्से पर तरतीवी रैस्पो0 खातेदार काश्तकार व काबिज हैं। मौके पर असल रैस्पो0/वादिया अपने हिस्से को शान्ति पर्वक काश्त

करती आ रही है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी सरगना ताकतवर व्यक्ति हैं जो अपनी ताकत के बल पर असल रैस्पो0/वादिया के हिस्से पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला वाद पाबन्द किये जाने एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् रिसीवर नियुक्त किये जाने, इन्ही बजूहात के साथ पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी निर्णित करते हुए गैर सायलान को दावा के निर्णय तक 1000/– रूपये प्रति बीघा, प्रति साल सिक्योरिटी बतौर तहसील में 30 जून तक जमा कराने की शर्त पर काश्त पर देने एवं निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने पर तहसीलदार, बयाना को रिसीवर नियुक्त रहेगा के आदेश दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पोडेण्ट बाबजूद सूचना अनुपस्थित, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई। तत्पश्चात् दिनांक 10.10.2017 को बहस के बाद दिनांक 12.10.2017 को अधिवक्ता रैस्पो0 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 पेज 300, 2001 पेज 427, 2002 पेज 577 पेश की।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। असल रैस्पो0 का विवादित आराजी के किसी भाग से कोई संबन्ध नहीं है एवं राजस्व रिकार्ड में उनके नाम के इन्द्राजात भी गलत हो रखें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। स्वयं असल रैस्पो0 के कथनानुसार वह एक सह कृषक लघु मात्र क्लेम कर रही है, इसलिये भी वह विवादित आराजी पर रिसीवर अथवा केस सिक्योरिटी कायम कराने की अधिकारिणी नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी आदेश जैर अपील में यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्योंकर विवादित आराजी पर सिक्योरिटी कायम की जावें एवं केस सिक्योरिटी भी जायज कायम नहीं की गई है, अधिक से अधिक 200 रूपये प्रति बीघा सिक्यारिटी नियत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि असल रैस्पो0 का प्रथम दृष्ट्या कोई प्रकरण भी नहीं बन पाया है एवं उनके हक में कोई निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की गई है एवं ना ही प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञा का निस्तारण ही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में, प्रमुखता से यह कथन रहा है कि असल रैस्पो0/वादिया विवादित आराजी पर सिक्योरिटी कायम कराने की अधिकारिणी नहीं थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 1000/– रूपये प्रति बीघा, प्रति साल सिक्योरिटी कायम करने के आदेश दिये हैं, जो त्रुटिपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय अधिक से अधिक 200/– रूपये प्रति बीघा, सिक्योरिटी कायम कर सकता था। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, नकल जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 व खसरा संवत 2055 से 58 के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि, राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान मुकदमा, सहखातेदारी में दर्ज है। चूंकि पक्षकारो के अधिकार मूल दावे में तय होगें, तब

तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की फसल बाबत् किये गये, सिक्योरिटी इन्तजाम को हम विधिक प्रावधानों के अनुशरण में, त्रुटिपूर्ण नहीं पाते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय पीडित पक्ष को होने वाली हानि से बचाने के लिये, कैश सिक्योरिटी कायम किये जाने के आदेश दे सकते हैं। जहॉ तक कैश सिक्योरिटी की राशि का प्रश्न है, यह अधीनस्थ न्यायालय के विवेक का बिन्दू है, जिस में कोई परिवर्तन करना हम उचित नहीं समझते हैं। वैसे भी अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा कैश सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए इस बारे में ना तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है और ना ही कोई तर्क एवं ना ही कोई गणना स्पष्ट की है जिसके आधार पर 200/– रूपये प्रति बीघा, सिक्योरिटी बाबत् आपत्ति पर विचार किया जा सकें। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी की, विस्तार से विवेचना की जाकर सुविवेचित निर्णय पारित किया है। लिहाजा हम अपील में कोई बल नही पाते हैं।

5. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 05.03.2004 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर